



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 422]
No. 422]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 21, 2009/आषाढ़ 30, 1931
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 21, 2009/ASADHA 30, 1931

कार्यिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्यिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2009

सा.का.नि. 541(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार हरियाणा सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) द्वितीय संशोधन विनियमावली, 2009 होगा।
- (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में “हरियाणा” शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

हरियाणा

सरकार के अधीन वरिष्ठ दूर्योग पद	112	तैनाती हेतु न्यूनतम सेवावधि (वर्ष में)
1	2	3
सरकार के मुख्य सचिव	1	-
वित्तीय आयुक्त-सह-प्रधान सचिव	1	2
मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव	1	2
वित्तीय आयुक्त/प्रधान सचिव/सदस्य, बिक्री कर अधिकरण	13	2
सरकार के सचिव	15	2
राज्यपाल के सचिव	1	2
मुख्य निर्वाचन अधिकारी	1	2
पंजीयक, सहकारी समितियाँ	1	2
राज्य परिवहन नियंत्रक	1	2
प्रभागों के आयुक्त	4	2
परिवहन आयुक्त	1	2
निवेदाज्ञा, आबकारी और कराधान आयुक्त	1	2
स्थानिक आयुक्त, हरियाणा भवन, नई दिल्ली	1	2
निदेशक, कृषि	1	2
निदेशक, उद्योग	1	2
निदेशक, नगर और देहात योजना-सह- शहरी सम्पदा और उपनिवेशन	1	2

1	2	3
निदेशक, उच्चतर शिक्षा	1	2
सरकार के संयुक्त सचिव/उप सचिव	8	2
श्रम आयुक्त	1	—
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	1	2
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा	1	2
निदेशक, खाद्य और आपूर्ति	1	2
निदेशक, जन सम्पर्क, शिकायत और सांस्कृतिक कार्य	1	2
निदेशक, आधिकारिक और पर्यटन	1	2
निदेशक, चक्रबंदी, भूमि रिकार्ड और विशेष जिलाधीश	1	2
निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	1	2
निदेशक, महिला और बाल विकास	1	2
निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण	1	2
निदेशक, पर्यावरण	1	2
निदेशक, खेल	1	2
निदेशक, विकास और पंचायत	1	2
निदेशक, ग्रामीण विकास और संस्थानिक वित्त	1	2
निदेशक, आपूर्ति और निपटान	1	2
निदेशक, शहरी विकास	1	2
उपायुक्त	21	2
अपर उपायुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक		
अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास		
अभिकरण/अपर जिलाधीश	21	2
1. कुल वरिष्ठ इयूटी पद	112	
2. सीडीआर उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं	44	
3. एसडीआर उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	28	
4. टीआर उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	03	
5. एलआर और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	18	
6. भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद	62	
उपर्युक्त मद 1, 2, 3 और 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं		
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (1+2+3+4+5-6)	143	
कुल प्राधिकृत पद संख्या	205	

टिप्पणी 1 : इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, हरियाणा संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 212 थी।

टिप्पणी 2 : मुख्य विनियम दिनांक 22-10-1955 की का.नि.आ. सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात्, ये हरियाणा संवर्ग के सम्बन्ध में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किए गए :

क्र. सं.	सा.का.नि. संख्या	तारीख
1.	1089	6-10-1973
2.	980	14-9-1974
3.	471(अ)	29-8-1975
4.	782(अ)	31-8-1976
5.	126	29-1-1977
6.	1125	1-6-1978
7.	1277	28-10-1978
8.	160	3-2-1979
9.	700(अ)	17-12-1980
10.	614	4-7-1981
11.	931	10-12-1983
12.	190	26-3-1988
13.	310	6-5-1989
14.	45(अ)	1-2-1990
15.	479	31-10-1992
16.	98	20-2-1993
17.	280	5-6-1993
18.	656(अ)	15-10-1993
19.	319(अ)	31-3-1995
20.	444(अ)	27-9-1996
21.	739(अ)	31-12-1997
22.	311	3-09-2003
23.	229(अ)	27-3-2008
24.	188(अ)	24-3-2009